राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर

क्रमांक- निदे./चिकि.एवं स्वा./म.वि.मैन/2023/920 दिनांक- 20.09.2023

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल।

विषय :- मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना (दवा) अन्तर्गत आरएमआरएस के माध्यम से व्यक्तिगत अनुबंध के आधार कार्यरत 2532 संविदा मशीन विद मैन (कम्प्युटर ऑपरेटर) को Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules 2022 के अधीन नियुक्ति हेतु स्कीनिंग कर रिपोर्ट तैयार करने बाबत।

संदर्भ :- संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग की स्वीकृति कमांक प022(01)चिस्वा/2/2023 दिनांक 25.08.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित स्वीकृति के कम में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना (दवा) के अन्तर्गत आरएमआरएस के माध्यम से व्यक्तिगत अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत 2532 संविदा मशीन विद मैन (कम्प्युटर ऑपरेटर) को Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules 2022 के अन्तर्गत लिये जाने हेतु इन नियमो में निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता, मासिक पारिश्रमिक एवं पदनाम निर्धारित किये जाने की स्वीकृति द्वारा प्रदान की गई है:-

क्र सं	विद्यमान पदनाम	पद के लिये निर्धारित गई योग्यता	प्रतिमाह पारिश्रमिक राशि	संशोधित पदनाम
1.	मशीन विद मैन (कम्प्युटर ऑपरेटर)	स्नातक एवं RSCIT का सर्टिफिकेट कोर्स या उससे उच्च योग्यता	10400/-	डाटा एन्ट्री असिस्टेन्ट

उपरोक्तानुसार निर्धारित पारिश्रमिक निम्न शर्तो के अध्याधीन होगा:-

1. इन नियमो के अन्तर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को उपरोक्त निर्धारित किये जा रहे पारिश्रमिक से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त है तो ऐसे कार्मिको को वर्तमान में प्राप्त पारिश्रमिक को संरक्षित किया जायेगा।
2. जिन मशीन विद मैन की व्यक्तिगत अनुबंध पर सेवाए लिये जाने की सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर चयन प्रक्रिया से पूर्ण कर सेवाऐ ली गई है उन्हे ही इन नियमो के अन्तर्गत लिया जायेगा।
3. एजेन्सी के माध्यम से अथवा जोब बेसिस पर कार्यरत कार्मिको को इन नियमो के अन्तर्गत नही लिया जायेगा।
4. Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules 2022 के नियम 3 की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
5. Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules 2022 के नियम 3 के अन्तर्गत उपरोक्त पद के कार्मिको को निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर उच्चतर पारिश्रमिक एवं पदनाम दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है:-

2022.04.09 09:13

क्र. सं.	पदनाम	संविदा सेवा अवधि	निर्धारित संविदा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम	मासिक उच्चतर पारिश्रमिक	विशेष विवरण
1	डाटा एन्ट्री असिस्टेन्ट	9 वर्ष	डाटा एन्ट्री असिस्टेन्ट II	18500/—	9 वर्ष मे प्राप्त पारितश्रमिक मे दो वार्षिक वृद्धि जोडकर निर्धारित
		18 वर्ष	डाटा एन्ट्री असिस्टेन्ट I	32300/—	18 वर्ष मे प्राप्त पारितश्रमिक मे दो वार्षिक वृद्धि जोडकर निर्धारित

उच्चतर पारिश्रमिक हेतु Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules 2022 के अन्तर्गत लाये जाने से पूर्व की सेवा गणना योग्य नही होगी।

उक्त स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या 212300519 दिनांक 17.8.2023 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसार में जारी की गई है। इस स्वीकृति की पालना सुनिश्चित है।(प्रति संलग्न है)

Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules 2022 के तहत प्रदत्त उक्त स्वीकृति के अनुसरण मे मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना (दवा) के तहत आरएमआरएस के माध्यम से व्यक्तिगत अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत संविदा कर्मियो की नियुक्ति स्क्रीनिंग के माध्यम से की जानी है। अतः आप अपने जिले में योजनान्तर्गत आरएमआरएस के माध्यम से व्यक्तिगत अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत संविदा कर्मियो की स्क्रीनिंग संलग्न चैक लिस्ट व Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules 2022 में निहित प्रावधान तथा उक्त स्वीकृति में वर्णित शर्तो के अनुसार करते हुए प्रत्येक संविदा कर्मीवार चैकलिस्ट भरकर एवं प्रत्येक चैकलिस्ट के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजो की सत्यापित कर सूचना दिनांक 25.9.2023 तक तैयार किया जाना सुनिश्चित करे।

स्क्रीनिग की सूचना संलग्न चैकलिस्ट में तैयार करते हुये निम्न बिन्दुओ का विशेष ध्यान रखा जावे :—

1. संविदा नियम 2022 के नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन सृजित पदो पर लोक विज्ञापन की प्रकिया के माध्यम से नियुक्ति संविदा कार्मिक को ही शामिल किया जावे। (उक्त नियम के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत की सूचना पृथम से अंकित की जावे)
2. आयु सीमा की जांच नियम 6 में प्रावधित अनुसार की जावे। (उक्त नियम के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत की सूचना पृथम से अंकित की जावे)
3. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त कर्मचारियो की वर्गवार सूचना संलग्न चैकलिस्ट के कॉलम संख्या 6 में अंकित की जावे।
4. संविदा नियम—2022 के बिन्दु संख्या 7, 8, 9 एवं 10 में वर्णित बिन्दुओ की पालना स्क्रीनिंग के समय वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक पि.1(3)वित्त/नियम/2021 जयपुर दिनांक 13 जनवरी, 2023 में दी गई शिथिलता को दृष्टिगत रखते हुए सुनिश्चित की जावे व वांछित सूचना प्रपत्र में दर्ज की जावे।
5. मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना (दवा) के तहत आरएमआरएस के माध्यम से व्यक्तिगत अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत संविदा कर्मियो की स्क्रीनिंग हेतु ब्लॉक एवं जिला स्तर पर समितियो का गठन किया जावे, ब्लॉक स्तरीय समिति में संबंधित ब्लॉक के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी,लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी एवं संस्थापन अधिकारी को सम्मिलित किया जावे एवं

2022.04.09 09:13

जिला स्तरीय समिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक औषधि भण्डार, लेखाधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वा0) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय का संस्थापन अधिकारी को सम्मिलित किया जावे।

6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के अधीन कार्यरत संविदा कर्मियो की स्क्रीनिंग हेतु जिला स्तर पर समिति का गठन किया जावेगा जिसमें प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक औषधि भण्डार, सहायक लेखाधिकारी एवं संस्थापन अधिकारी को सम्मिलित किया जावे।

7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नवीन संविदा नियम Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules 2022 में अंकित प्रावधान अनुसार संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग संबंधित समस्त कार्यवाही हेतु एक जिला स्तरीय नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाये, जो ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से निम्न नही हो। उक्त नोडल अधिकारी जिले की स्क्रीनिंग से संबंधित संस्थापन अधिकारी के साथ निर्धारित दिनांक को चाही जाने समस्त सूचना/रिकोर्ड/चैक लिस्ट/निर्धारित प्रमाण पत्र (हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी) सहित निदेशालय में व्यक्तिशः उपस्थित होंगे। इसके लिये अलग से सूचित किया जायेगा।

योजनान्तर्गत संविदा कर्मियो को संविदा नियमो के तहत लिये जाने हेतु संविदा कार्मिको की स्क्रीनिंग की सूचना संलग्न चैकलिस्ट के अनुसार तैयार कर संबंधित दस्तावेजो के प्रमाणीकरण सहित दिनांक 25.9.2023 तक तैयार कर सूंचना संकलन/प्रमाणित होने की कार्यवाही की पालना रिपोर्ट निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

(डॉ0 आर0पी0 माथुर)
निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभग।
2. निजी सहायक, निदेशक, (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राज0 जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ संबंधित जोन।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी समस्त।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर।

Document certified by RAVI PRAKASH MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI PARKASH MATHUR
Designation : Director
Date :20-09-2023 10:35:14

RajKaj Ref No.: 4719965

2022.04.09 09:13

समिति के समक्ष संविदा कर्मचारी अनुसार जांच हेतु प्रस्तुत दस्तावेजो की चैकलिस्ट

कर्मचारी का नाम ....वर्तमान पद.......................वर्तमान मानदेय.............

स्क्रीनिंग पश्चात पदनाम..................................स्क्रीनिंग पश्चात मानदेय......................................

पदस्थापन स्थान...............................अनुभाग..............................मूल निवास जिला.......................

पत्र व्यवहार का पता...

क्र.सं	सूचना की विषय वस्तु	दस्तावेज संलग्न है अथवा नही (सही अथवा क्रॉस का निशान लगावे)	प्रस्तुत दस्तावेजो की पृष्ठ संख्या
1.	संविदा कर्मी का नाम, पिता का नाम एव पता के सत्यापन से संबंधित प्रमाण की प्रति (अंकतालिका व आधार कार्ड की प्रति अथवा अन्य दस्तावेज)		
2.	संविदा कर्मी की नियुक्ति हेतु अपनाई गई प्रकिया से संबंधित सूचना (नियुक्ति का आधार सार्वजनिक विज्ञापन की प्रति, नियुक्ति आदेश की प्रति व अन्य अपनाई गई प्रकिया)		
3.	अंतिम अनुबंध की समयावधि दिनांक .... से ....तक अनुबन्ध प्राधिकारी कार्यालय का नाम व अधिकारी का पद नाम ....(अनुबन्ध की प्रति संलग्न करे)		
4.	विज्ञापन मे दर्शायी गई पद की वांछित योग्यता..		
5.	नियुक्ति के समय निर्धारित योगयता (पद अनुसार निर्धारित योगयता का प्रमाण पत्र) स्नातक व आरएससीआईटी व उच्च		
6.	जाति संबंधित कॉलम को चिन्हित करे।		

सामान्य	अनु जाति	अनु जन जाति	अन्य पि वर्ग	अति पि वर्ग
विधवा	परित्यक्तता	विशेष योग्यजन	ईडब्ल्यूएस	उत्कृष्ट खिलाड़ी
भूतपूर्व सैनिक	सहरिया	टीएसपी	नॉन टीएसपी	अन्य कोई हो तो अंकित करे

7.	कार्मिक की उक्त पद पर नियुक्ति आदेश क्रमांक................दिनांक		
8.	कार्मिक का उक्त पद पर कार्यग्रहण दिनांक		
9.	जन्म तिथि.....................................		
10.	कार्यग्रहण दिनांक को आयु..........वर्ष......... माह.......दिन........		
11	दिनांक 01.09.2023 को आयु...............वर्ष... .....माह ....दिन....................		
12.	कार्मिक के जीवित संतानो की संख्या ...... (दिनांक 1.6.2002 तक)		
13.	कार्मिक के जीवित संतानो की संख्या ...... (दिनांक 1.6.2002 के पश्चात)		
14.	संविदा कार्मिक को देय मानदेय 1.नियुक्ति तिथि को दिया गया मानदेय........ 2.01.04.2022 को दिया गया मानदेय..........		
15.	न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से संबंधित अपराध में दण्डादिष्ट नही होने के संबंध में घोषणा–नियम 6 से 9 के अनुसार		
16.	कार्मिक का मोबाईल नम्बर...........................		
17.	कार्मिक के बैक खाते का विवरण–बैक का नाम........................ब्रांच............आईएफएससी कोड ....बैक खाता संख्या........................		
18.	क्या कार्मिक के संबंध में न्यायालय मे प्रकरण लम्बित है अथवा न्यायालय निर्णय के अधीन कार्यरत है यदि हां तो निर्णय की दिनांक...................(निर्णय की प्रति संलग्न करे)निर्णय की पालना में कब से कार्यरत है की दिनांक ....(निर्णय आदेश की पालना में जारी आदेश की प्रति संलगन करे) न्यायालय प्रकरण लम्बित न होने की स्थिति में स्पष्टतया नही होने का रिमार्क अंकित करे।		
19.	विशेष विवरण यदि कोई हो तो अंकित करे–		
20.	प्राप्त परिवेदना का संक्षिप्त विवरण	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की स्पष्ट टिप्पणी	

2022.04.09 09:

प्रमाणित किया जाता है कि उपर वर्णित समस्त सूचनाए एवंत तथ्य सही है व संबंधित संविदा कर्मचारी के शैक्षिणिक दस्तावेज सत्यापित करवा लिये गये है जो सही पाये गये है के अनुसार दस्तावेज सत्यापित कर संलग्न कर दिये गये है।

प्रथम स्तरीय दस्तावेज परीक्षण कमेटी

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी	लेखाधिकारी / सहायक ले0	संस्थापन अधिकारी
(नाम..............................)	(नाम..............................)	(नाम..............................)

दस्तावेज परीक्षण कमेटी की टिप्पणी...
....
....

द्वितीय स्तरीय दस्तावेज परीक्षण कमेटी

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी	जिला परियोजना समन्वयक जिला औषधि भण्डार	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य)

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
लेखाधिकारी	संस्थापन अधिकारी

2022.04.09 09:

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ...

क्रमांकः—   दिनांकः—

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के अधीन जिले में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना (दवा) के अन्तर्गत आरएमआरएस के माध्यम से व्यक्तिगत अनुबन्ध के आधार कार्यरत संविदा कार्मिको (मशीन विद मैन) का Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules 2022 के अन्तर्गत नियुक्ति की पात्रता के सभी मापदण्डो की जांच उक्त नियमो में प्रावधित अनुसार/चेकलिस्ट में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार की गई। संलग्न सूची में वर्णित संविदा कार्मिको (मशीन विद मैन) नियुक्ति योग्य है। नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

....

2022.04.09 09:13